



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, मंगलवार 20 दिसंबर 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-05, अंक- 83

महत्वपूर्ण एवं खास

हल्दवानी में बस वन विभाग की चौकी में घुसी, कई घायल

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड के हल्दवानी में लालकृष्ण सेंचुरी पेपर मिल की एक बस सुबह-सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सेंचुरी पेपर मिल के कर्मों मौजूद थे। इसमें कई लोगों को चोट आई है। जिन्हें हल्दवानी अस्पताल भिजवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सेंचुरी पेपर मिल की स्टाफ बस हल्दवानी से मिल कर्मियों को लेकर लालकृष्ण की तरफ जा रही थी कि तभी नेशनल हाईवे 109 पर अनियंत्रित होकर डिपो नं. 4 के पास वन विभाग की चौकी में जा घुसी। दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वन विभाग की चौकी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। हालांकि वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है। दुर्घटना के तुरंत बाद राह चलते लोगों और स्थानीय लोगों की मदद से बस में मौजूद लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर सेंचुरी पेपर मिल की एंबुलेंस समेत पेपर मिल प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं।

पश्चिम विहार में रैडिसन ब्लू के

पास संदिग्ध वस्तु से फैली दहशत

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह पश्चिम विहार के फाइव स्टार होटल रैडिसन ब्लू के पास बम होने के बारे में एक पीसीआर कॉल मिली। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मौके से एक डिजिटल लॉक बरामद किया गया है। उन्होंने कहा, हमने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में यह क्या है। कॉल के बाद दहशत पैदा हो गई, क्योंकि बहुत सारे स्कूली छात्र अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने कहा कि वे बम निरोधक दस्ते की मदद ले रहे हैं।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने

पीएम मोदी से मुलाकात की

नई दिल्ली (आरएनएस)। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने ट्वीट किया, आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए ऑपन, कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए आपन बातचीत की जी20 अध्यक्षता का समर्थन करते हैं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंसा, कई घायल

प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को उस समय हिंसा भड़क गई, जब छात्रों ने सुरक्षा गार्डों और फिर पुलिस के साथ मारपीट की। परेशानी तब शुरू हुई जब गार्ड ने एक छात्र नेता को परिसर में प्रवेश करने से रोका दिया। छात्र नेता ने कहा कि वह कैम्पस के अंदर बैक जा रहे थे। इससे हाथापाई हुई और पथराव होना शुरू हो गया। अंदर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। अतिरिक्त पुलिस को बुलाया गया। खबरों के मुताबिक, इस भगदड़ में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। खबर लिखे जाने तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्र पिछले 101 दिनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं।

काशी विश्वनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए गर्मी से शुरू होगी वॉटर टैक्सी सेवा

वाराणसी (आरएनएस)। अगले साल की गर्मी से तीर्थयात्रियों को काशी विश्वनाथ धाम और घाटों तक ले जाने के लिए वॉटर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इससे शहर की सड़कों से वाहनों का भार कम होगा। अगले साल होने वाले शंभोई सहयोग संगठन (एससीओ) और जी20 कार्यक्रमों से पहले वॉटर टैक्सी सेवा शुरू होने की संभावना है। संभागायुक्त कौशल राज शर्मा के अनुसार, तीन-चार माह में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रमुख कार्य किए जाएंगे। इस दौरान सड़कों की स्थिति में सुधार किया जाएगा और शहर के सौंदर्यकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। यातायात को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शहर की सड़कों पर लोड कम करने के लिए प्रशासन गंगा में वॉटर टैक्सियां चलाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल टैक्सी परिवोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर शुरू की जाएगी।

आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कानून का इस्तेमाल आरोपियों को परेशान करने के लिए एक औजार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामलों इसकी पवित्र प्रकृति को विकृत न करें। शीर्ष अदालत ने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित आपराधिक मुकदमे को निरस्त करते हुए कहा कि कानून निर्दोषों को डराने के लिए "तलवार" की तरह इस्तेमाल किए जाने के बजाय निर्दोषों की रक्षा के लिए ढाल के रूप में अस्तित्व में है।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के पिछले साल अगस्त के फैसले के खिलाफ एक अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें ड्रग्स एंड कॉम्प्लेक्स एक्ट, 1940 के प्रावधान के कथित उल्लंघन से संबंधित एक आपराधिक शिकायत रद्द करने की अर्जी ठुकरा दी गई थी। शीर्ष



अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच और शिकायत दर्ज करने के बीच चार साल से अधिक का अंतर था और पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी शिकायत में किए गए दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था। इसने कहा कि हालांकि अत्यधिक देरी आपराधिक शिकायत रद्द करने का अपने आप में एक आधार नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह की देरी के लिए "अस्पष्ट कारण" इसे रद्द करने के आधार के तौर पर एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। पीठ ने 16 दिसंबर को दिए अपने फैसले में कहा, "एक बार फिर हम कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का उद्देश्य केवल न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए और कानून का इस्तेमाल आरोपियों को परेशान करने के लिए एक उपकरण के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।" खंडपीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए कहा, "कानून एक पवित्र चीज है, जो न्याय के लिए अस्तित्व में आता है और अदालतों को कानून के संरक्षक तथा सेवक के तौर पर हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले

कानून की पवित्र प्रकृति को विकृत न करें।"

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक पड़ताल का आवश्यकता थी। शीर्ष अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि भले ही ड्रा इम्पेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत को कायम रखने के लिए अधिकारी द्वारा कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया था।

न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक निरीक्षण करने, कारण बताओ नोटिस तथा शिकायत के बीच चार साल से अधिक की असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वास्तव में, इस तरह के स्पष्टीकरण की गैर-मौजूदगी ही आपराधिक मुकदमे शुरू करने के कुत्सित इरादों की ओर अदालत को संकेत देती है।"

उन्नाव रेप केस के दोषी सेंगर ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि यूपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। सेंगर को 2017 में राज्य के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, जो 8 फरवरी, 2023 को होनी है और समारोह 18 जनवरी से शुरू होगा।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुद्गल और न्यायमूर्ति तलवन्त सिंह की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सिंह को छोड़कर किसी अन्य पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस आवेदन को एक बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसमें हम में से एक अर्थात् न्यायमूर्ति तलवन्त सिंह, मुख्य न्यायाधीश के निर्देश प्राप्त करने के अधीन सदस्य नहीं हैं। बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंगर की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने और 20 दिसंबर, 2019 के आदेश को खारिज करने जैसी राहत मांगी थी।

ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को आईपीसी की धारा 376 (2) (एक लोक सेवक द्वारा किया गया बलात्कार) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उस पर 25 लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना भी लगाया था। 5 अगस्त, 2019 को सुनवाई शुरू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को मामले से जुड़े सभी पांच मामलों को उन्नाव से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।

कर्नाटक के स्कूल में गेस्ट फैकल्टी ने नौ साल के बच्चे की पीट-पीटकर की हत्या

गडग (आरएनएस)। सरकार द्वारा संचालित एक स्कूल में गेस्ट फैकल्टी द्वारा लोहे की पतली रॉड से कथित तौर पर पिटाई किए जाने के बाद चौथी कक्षा के एक छात्र की सोमवार को मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना शनिवार को हुई थी।



मुक्त छात्र की पहचान गडग के नरगुंड कस्बे के हदाली गांव के सरकारी मॉडल प्राथमिक विद्यालय के नौ वर्षीय छात्र भरत बराकेरी के रूप में हुई है। आरोपी शिक्षक की पहचान मुद्दु हदाली के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से आरोपी शिक्षक गायब हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। आरोपी ने पूछाख के लिए लडके की मां गीता बराकेरी के साथ भी मारपीट की थी।

आरोपी ने भरत पर लोहे की पतली रॉड से उस वक्त हमला कर दिया, जब वह अपने दोस्तों से बात कर रहा था। इसके बाद लडका

दौड़कर अपनी मां गीता के पास गया। गीता ने जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उनपर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बालक को हबली के केआईएमएस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। नरगुंड पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। उनके गुस्से का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच चल रही है।

इंग्लैंड में कानूनी लड़ाई हारा नीरव मोदी, 28 दिनों में लाया जा सकता है भारत

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर इंग्लैंड फरार होने वाले नीरव मोदी को अगले 28 दिन के भीतर वापस भारत लाया जा सकता है। नीरव मोदी, इंग्लैंड में अपनी कानूनी लड़ाई हार चुका है। नीरव मोदी के बचने का कोई रास्ता शेष नहीं रह गया है। यदि कोई और राहत नहीं मिलती है तो नीरव मोदी को अगले 28 दिन के अंदर भारत लाया जाएगा। सोमवार को सरकार की ओर से यह बात राज्यसभा में कही गई।



फरवरी 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरव मोदी की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने यह जांच पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर शुरू की, जिसने आरोप लगाया कि नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने षडयंत्र कर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए फर्जी भुगतान पत्र बनवाये, और 270 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पंजाब नेशनल बैंक के नुकसान की संभावित राशि 11 हजार

करोड़ रुपए तक हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक के आग्रह पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धोखाधड़ी के इस मामले में नजर रख रहा है। सोमवार को भाजपा सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा को जानकारी देते हुए बताया, जो लोग नीरव मोदी की बात करते थे कि नीरव मोदी भाग गया, अब लौट कर वापस आएगा। सदन को मैं बताना चाहूंगा ब्रिटेन में नीरव मोदी के पास जितने भी कानूनी विकल्प थे वह सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। यदि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से कोई राहत

नहीं मिली या फिर इंग्लैंड ने उसे शरण नहीं दी तो अगले 28 दिनों के अंदर नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण न करने की याचिका को ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता काफी हद तक साफ हो चुका है। हालांकि अभी भी यह अंतिम निर्णय नहीं है। नीरव मोदी को भारत लाने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। जानकारों का कहना है कि डिप्लोमेसी और मानवाधिकार नियमों की तय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्रिटेन पुलिस नीरव को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंप सकती है। सीबीआई इसके बाद ही नीरव को ब्रिटेन से भारत लाएगी। इसके साथ ही सुशील मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण फर्टिलाइजर के मूल्य

में बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि किसानों पर इसका कोई बोझ पड़े और इसीलिए बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। इस बजट में जो फर्टिलाइजर की सप्लिडी होगी वह कुल मिलाकर 2.14 लाख करोड़ की होगी।

सुशील मोदी ने बताया कि भारत में यूरिया का दाम 266 रुपए प्रति बोरे है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2450 रुपया यानी प्रति बोरे पर 2183 रुपए सप्लिडी प्रदान की जा रही है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। सुशील मोदी ने कहा जो डीएपी फर्टिलाइजर है उसका एमआरपी 1350 रुपए है। हम इस पर ढाई हजार रुपये प्रति बोरे सप्लिडी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन को यह मालूम है कि 80 करोड़ लोगों को 28 महीने से 5 किलो अनाज प्रति महीना निशुल्क अनाज सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस पर सरकार 3.90 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार के शैक्षणिक संस्थान पर सीबीआई ने की छापेमारी

बेंगलुरु (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने सोमवार को बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के शैक्षणिक संस्थान पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बेंगलुरु के राजाजेश्वरनगर में स्थित नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन पर छापे मारा और दस्तावेजों का सत्यापन किया। शिवकुमार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी ईश्वर्या सचिव हैं। शिवकुमार ने कहा कि सीबीआई ने उनके शिक्षण संस्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई हमारी जमीन और कारोबार की जांच कर

नहीं है। जांच एजेंसियों के द्वारा हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। डीके शिवकुमार ने कहा कि सभी जांच एजेंसियों ने शिकायतें दर्ज की हैं और जांच की है। सीबीआई अधिकारियों ने मेरे सहयोगियों और रिश्तेदारों को नोटिस जारी करके जानकारी हासिल की है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। उन्हीं कहा है कि जांच एजेंसियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। शिवकुमार ने समझाया कि मुख्य उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करना है। शिवकुमार ने गुस्से में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं न्यायपालिका और भ्रष्टाचार पर भरोसा रखता हूँ। बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद ने बीजेपी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन लोटस के दौरान पैसों के लेन-देन की बात कही है। श्रीनिवास प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ को पैसे दिए गए थे। राज्यपाल पद के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की खबरें आ रही हैं। मैसूर-कोडगु के सांसद प्रताप सिन्हा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। जांच एजेंसियों ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया है। पैसों के बड़े लेन-देन की चर्चा हो रहे भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ठगने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मोबाइल गिफ्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थानीय अदालत ने 8 साल पहले 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 30 साल के व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसको छह माह की सजा आधिक काटनी होगी।



राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष के अधिकारियों द्वारा प्रभावी तरीके से मामले को आगे बढ़ाने के कारण अदालत ने सख्त सजा सुनाई। सरकारी वकील सत प्रताप सिंह ने इस मामले में बताया कि 29

सितंबर, 2014 को बहराइच के हर्दी थाना अंतर्गत एक गांव में अपने घर के पास शौच के लिए गई लडकी के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने शुरू में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया और फिर पॉक्सो अधिनियम की धाराओं को लागू किया। बाद में लडकी के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर आरोप जोड़े गए। जेल की सजा सुनाए जाने के समय दोषी अदालत में मौजूद था। उसे जेल भेज दिया गया।

सर्दी से बढ़ने लगे दिल और बीपी के मरीज, दो की मौत

0 बुजुर्ग श्वास और मासूम निमोनिया से हो रहे पीड़ित
0 बुखार के अलावा कोल्ड डायरिया का भी बढ़ रहा जोर

बांदा (आरएनएस)। सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम में भी परिवर्तन हो गया है। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे हार्टअटैक और बीपी के साथ ब्रेन हैमरेज भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं सर्दी से बुजुर्ग श्वास रोग से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं बुखार और कोल्ड डायरिया ने भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बुखार और कोल्ड डायरिया की चपेट में आए करीब आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हार्टअटैक से दो मरीजों की मौत हो गई।

दिसंबर माह के 19 दिन गुजर गए हैं। सर्दी ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सोमवार को बर्फीली हवाओं से लोग सिकुड़ते नजर आए। अभी तक दिन में निकल रही तेज धूप से लोग गर्म कपड़े पहनने से परहेज करते थे। लेकिन अब लोगों ने दिन में भी गर्म कपड़े पहनने की जरूरत



महसूस की। सर्दी से हार्टअटैक, बीपी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। श्वास और निमोनिया भी लोगों को अपनी आगोश में ले रहा है। बिसेंडा थाना क्षेत्र के कोहला पुवा निवासी राधेश्याम (68) पुत्र हीरालाल सोमवार की सुबह घर के बरामदे में

बैठा था। तभी सर्दी के कारण उसके सीने में तेज दर्द हुआ। परिजनों ने पहले उसका घरेलू उपचार किया। हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं देहात कोतवाली क्षेत्र के चिहतरा गांव निवासी बतनुवा (70) पुत्र भवनिया शनिवार की दोपहर घर में बैठा था तभी उसे हार्ट अटैक पड़ गया। घरवालों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत

हो गई। बुखार और कोल्ड डायरिया से पीड़ित लक्ष्मी (24) पत्नी विनोद, दिव्या (4 माह) पुत्री विमल पुडूई, अभिषेक यादव (28) पुत्र पप्पू क्योटा, अहमदी (65) पत्नी नन्धू खुटला, सुह्रद (35) पुत्र पहलवान अमारा जसपुरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के फिजिशियन डा. हृदयेश पटेल ने बताया कि सर्दी में हार्टअटैक और बीपी के मरीज बढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं श्वास और निमोनिया से ग्रसित लोग भी अस्पताल आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ा पहनें। मोजा और टोपा लगाकर रखें। मानिगवाक करने से बचें।